तहसील तूंगा जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 05.11.2024 व तहसीलदार तूंगा द्वारा द्वारा दिनांक 15.01.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तूंगा के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 05.11.2024 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :— *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

*Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.*इसलिये प्रार्थीया को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी[redacted] अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 629 भूमि खसरा नम्बर 1935/1443 रकबा 0.2350 है0 तथा खाता संख्या 641 भूमि खसरा नम्बर 1457 रकबा 0.1800 है0, ख.नं. 1936/1443 रकबा 0.0550 है0 तथा खाता संख्या 643 भूमि खसरा नम्बर 1938/1441 रकबा 0.0338 है0, ख.न. 1940/1432 रकबा 0.1183 है0 तथा खाता संख्या 628 भूमि खसरा नम्बर 1939/1441 रकबा 0.1825 हैक्टेयर ग्राम ग्वालिनी प.ह. माधोगढ़ तहसील तूंगा जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 05.11.2024 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार तूंगा को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर ग्रामीण (रा.ज.)

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण